



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹25000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मझगवां में पंजीकृत मु०अ०सं०- 128/2017 धारा-302,201भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय जिला/सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त उमेश उर्फ पप्पू पुत्र खूबचन्द्र नि० ग्राम इटौरा थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को आजीवन कारावास व ₹25000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



डीजीसी श्री राजेश
कुमार शुक्ला



विवेचक-
निरी० श्री राजकुमार
सिंह



पैरोकार- थाना मझगवां
का० सर्वज्ञ सिंह